बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (पटना) 02–45/2022–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पालीगंज, पटना के विरूद्ध बालू का अवैध खनन भंडारण एवं परिवहन में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाये जाने, बालू उत्खनन का कार्य संबंधित संवेदक के द्वारा बंद किये जाने के पश्चात् भी कुछ जगहों पर अवैध बालू का उत्खनन एवं गैर कानूनी व्यापार से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके आलोक में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा जाँच कराई गयी। तत्पश्चात् अवैध उत्खनन में शामिल एवं सहयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मी का सरकारी एवं अन्य मोबाईल नंबरों का पता कर समानान्तरण अनुश्रवण/सी0डी0आर0 विश्लेषण, स्थानीय एवं स्थलीय जाँच तथा आसूचना एवं सूत्रों से जानकारी प्राप्त की गयी। बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में प्रथम दृष्टया श्री कुमार की संलिप्तता संदिग्ध पायी जाने जैसे कतिपय आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. उक्त आरोपों के संदर्भ में विभागीय संकल्प सं0–470(15) दिनांक–26.07.2021 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

3. प्रतिवेदित आरोपो के लिए विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–819(15) दिनांक–28.06.2022 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–28.07.2022 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–496(15) दिनांक–13.03.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री एस0एम0 कैसर सुल्तान, तत्कालीन संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गै0प्रे0सं0–17 दिनांक–19.06.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–13888 दिनांक–21.07.2023 की कंडिका–5(iii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–06.02.2024 को आयोजित बैठक में श्री कुमार को निलम्बन मुक्त किये जाने की कि गई अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–424(15) दिनांक–15.03.2024 द्वारा श्री कुमार को निलम्बन मुक्त किया गया।

7. आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–1243(15) दिनांक–15.07.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक–14.08.2025 से अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

8. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आर्थिक अपराध ईकाई के जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध तकनीकी निगरानी से कोई साक्ष्य नहीं मिले है, परन्तु स्थलीय जाँच एवं सूत्रों के अनुसार बालू के अवैध उत्खनन / परिवहन के कारोबार में इनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन में मात्र यही उल्लेखित किया गया है कि आय से 62.8 प्रतिशत अधिक की संपति अर्जित किए जाने संबंधी आर्थिक अपराध ईकाई के आरोपों को साक्ष्यविहीन तथा एकपक्षीय अंकित किया गया है। केवल संभावना एवं परिकल्पना के आधार पर स्थलीय जाँच एवं सूत्रों को आधार बनाया गया है, कोई ठोस साक्ष्य नहीं बताया गया है। सूत्रों के संबंध में कोई विवरण भी नहीं दिया गया है।

आरोप पत्र में आय से अधिक संपति का उल्लेख नहीं है यद्यपि साक्ष्य के रूप में आय से अधिक परिसंपति की परिगणना की विवरणी संलग्न किया गया है तथापि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आरोप का विषय–वस्तु पुलिस अनुसंधान अन्तर्गत एवं आर्थिक अपराध इकाई की प्रक्रिया अन्तर्गत है, जिस कारण आरोप पत्र के संबंध में विभागीय कार्यवाही संचालन के द्वारा आरोप संख्या–02, 03 एवं 04 के प्रमाणित अथवा अप्रमाणित होने के निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है।

चूँकि आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन में अवैध बालू के उत्खनन / परिवहन के कारोबार में आरोपी पदाधिकारी का भूमिका संदिग्ध प्रतिवेदित की गई है, साथ ही आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में कांड सं0–25/2021 दिनांक 18.11.2021 दर्ज है एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन में कोई ठोस साक्ष्य / तथ्य समर्पित नहीं किया गया है बल्कि मात्र यह अंकित किया गया है कि आय से 62.8 प्रतिशत अधिक की संपति अर्जित किए जाने संबंधी आर्थिक अपराध ईकाई के आरोपों को साक्ष्यविहीन तथा एकपक्षीय अंकित किया गया है। जिसके कारण उनका द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। आरोप की प्रकृति काफी गंभीर श्रेणी की है।

9. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

10. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पालीगंज, पटना **सम्प्रति चकबंदी पदाधिकारी, बिहियॉ, भोजपुर** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–45/2022–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–गेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, पटना/निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना/उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं भोजपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री राकेश कुमार, चकबंदी पदाधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–45/2022–.....782.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....11/06/26.....

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री राकेश कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

96
(इनायत खान),
विशेष सचिव।